इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मई 2018—ज्येष्ठ 10, शक 1940

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2018

एफ– 1–116/2009/1/59:– भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत् शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतदद्वारा, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अधीन संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत सेवाओं के कतिपय प्रवर्गो की भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :–

–नियम–

1. **संक्षित नाम, विस्तार और प्रारंभः–**

(1) इन नियमों का संक्षित नाम, " मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी संविदा सेवक (नियुक्ति तथा सेवा शर्ते) नियम, 2018" है।

(2) इन नियमों का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2. **परिभाषाएंः– इन नियमो, में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–**

(क) " **नियुक्ति प्राधिकारी**" से अभिप्रेत है, अनुसूची–एक में संबंधित प्रवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी:,

(ख) " **संविदात्मक कर्मचारी**" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त किया गया संविदा सेवक,

(ग) " **संविदा सेवा**" से अभिप्रेत है, इन नियमो में यथा उपबंधित संविदा सेवाऐ,

(घ) " **संविदा नियुक्ति**" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर की नियुक्ति,

(ङ) "**जिलें**" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राजस्व जिले;

(च) "**सरकार**" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(छ) "**विभागाध्यक्ष**" से अभिप्रेत है, आयुक्त/संचालक, आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल;

~~(ज) "**पद**" से अभिप्रेत है, अनुसूची–एक के~~ कॉलम (2) में उल्लिखित पद;

(झ) "**ग्रामीण क्षेत्र**" से अभिप्रेत है, नगरपालिक परिषद् तथा नगरपालिक निगम से भिन्न कोई क्षेत्र;

(ञ) "**अनुसूची**" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ट) "**राज्य**" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

3. **लागू होना.–**

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ये नियम संविदा सेवक के ऐसे प्रवर्गों को लागू होंगे जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अधीन राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

4 **संविदा मानदेय का भुगतान.–**

(1) संविदात्मक कर्मचारियों को अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट मासिक संविदा मानदेय का भुगतान किया जाएगा :

परंतु मानदेय में वृद्धि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अध्यधीन रहते हुए की जाएगी :

परंतु यह और कि संविदात्मक कर्मचारी किसी अन्य भत्ते के हकदार नहीं होगें जैसेकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू हैं।

(2) संविदात्मक कर्मचारियों को संविदा मानदेय का भुगतान उन दिनों के लिए नहीं दिया जाएगा जिसके लिए वह कर्तव्य से अनुपस्थित रहा हो।

5. **पदों की संख्या एवं आरक्षण.–**

(1) **पदों की संख्या** –राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत पदों की संख्या ऐसी होगी जैसी कि अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट की गई है :

परंतु सरकार समय–समय पर पदों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकेगी :

परंतु यह और कि प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों की गणना राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष की एक जनवरी की स्थिति में की जाएगी तथा संविदात्मक नियुक्ति के लिए चिन्हित रिक्त पदों को पृथक् से समूहकृत किया जाएगा।

(2) **आरक्षण.–** मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994), मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार पद आरक्षित किए जाएंगे।

6. **भर्ती का तरीका.–**

(1) सेवा में भर्ती चयन/प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।

(2) चयन/प्रतियोगिता परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी), एम.पी. ऑनलाइन या सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किसी अन्य अभिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी।

(3) पदों पर नियुक्ति प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

7. पात्रता की शर्तें.—

(1) **आयु:** अभ्यर्थी ने उस वर्ष की प्रथम जनवरी को जिसमें नियुक्ति की जानी है, अनुसूची—दो के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूर्ण न की हो :

परंतु उच्चतर आयु सीमा बनाए गए उपबंधों या शासन द्वारा जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

(2) **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता:** अभ्यर्थी के पास अनुसूची—दो में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए।

(3) अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन भी होगा तथा प्रतिकूल रिपोर्ट की दशा में नियुक्ति रद्द हो जाएगी।

8. **निरहर्ताएं.—**

(1) किसी भी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा / चयन में प्रवेश के लिए निरर्हता माना जाएगा।

(2) कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत न्यूनतम आयु (पुरूष के लिए 21 वर्ष एवं महिला के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) कोई अभ्यर्थी, जिसने किसी ऐसे पुरूष/स्त्री से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पति/पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे।

(4) कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसकी दो से अधिक जीवित संताने हों जिनमें से एक का जन्म दिनांक जनवरी, 2001 के 26 वें दिन या उसके पश्चात् हुआ हो :

परन्तु कोई अभ्यर्थी जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा जनवरी, 2001 के 26वें दिन को या उसके पश्चात् आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(5) कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जो किसी महिला के विरूद्ध किसी अपराध में सिद्धदोष ठहराया गया हो :

परन्तु जहां अभ्यर्थी के विरूद्ध ऐसा मामला किसी न्यायालय में लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक प्रकरण के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रखा जाएगा।

(6) फर्जी दस्तावेज/दस्तावेजों में हेर फेर किया गया हो चयन के स्तर पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपायी हो।

9. **संविदा नियुक्ति की अवधि.—**

संविदा नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी :

परंतु चयन समिति की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) से निधि की उपलब्धता के आधार पर अथवा मिशन की अवधि तक प्रति वर्ष की संविदा नियुक्ति की अवधि नवीकृत की जा सकेगी :

परंतु यह और कि संविदात्मक कर्मचारी का कर्तव्य, आचरण एवं कार्य निष्पादन संतोषजनक होना चाहिए।

10. **संविदा कालावधि के दौरान अनुशासन तथा नियंत्रण.**—इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई भी व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा।

11. **कदाचार या किसी आपराधिक गतिविधि में अंतर्ग्रस्त होने पर कार्रवाई.**— इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति के द्वारा किसी कदाचार या आपराधिक गतिविधि में अंतर्ग्रस्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

12. **नियंत्रणकर्ता अधिकारी.**— संविदा सेवक संबंधित जिले के जिला आयुष अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा।

13. **अन्य शर्तें.**—

(1) चयनित अभ्यर्थी, जिला आयुष अधिकारी जो नियुक्ति प्राधिकारी का प्रतिनिधि अधिकारी है, के साथ रूपए 500/— के गैर न्यायिक स्टांप पर अनुबंध निष्पादित करेगा। अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा में होना माना जाएगा।

(2) संविदा सेवक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करे। संविदा सेवक कार्यभार ग्रहण करने की सूचना संबंधित जिले के जिला आयुष अधिकारी को भेजेगा। यदि चयनित कर्मचारी उक्त कालावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है, तो संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी।

(3) प्रथम माह के लिए संविदा रकम का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व संविदा सेवक स्वयं अपने व्यय पर मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाने वाला चिकित्सीय परीक्षण करवाएगा। इस चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा नियुक्ति विधिमान्य होगी।

(4) (क) संविदा सेवक की पदस्थापना विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, विनिर्दिष्ट स्थान हेतु उप नियम (1) के अनुसार संविदा आधार पर होगी। तथापि, महिला अभ्यर्थी की सुविधा के लिए पदस्थापना में पति–पत्नी को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र में समान पद के दो संविदा सेवकों का आपसी स्थानांतरण उनके संयुक्त आवेदन करने पर किया जा सकेगा।

(ग) संविदा कर्मचारी केवल आपवादिक परिस्थितियों के अंतर्गत केवल रिक्त पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है :

परंतु यदि किसी संविदा कर्मचारी को 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् आपवादिक परिस्थिति के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाता है, तो वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी :

परंतु यह और कि 3 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण करने के पूर्व स्थानांतरणं किया जाता है, तो इसे नई नियुक्ति समझा जाएगा तथा वरिष्ठता की गणना नवीन अनुबंध के निष्पादन की तारीख से की जाएगी।

(5) (क) संविदा सेवक एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 15 दिनों के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। वह एक समय में अधिकतम 3 दिनों के अवकाश का उपयोग कर सकेगा/सकेगी।

(ख) संविदा सेवक एक वित्तीय वर्ष में 15 दिनों के लिए चिकित्सीय अवकाश का हकदार होगा। तथापि 3 दिवस से अधिक चिकित्सीय अवकाश हेतु विहित प्रपत्र में राजपत्रित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा। 7 दिवस से अधिक चिकित्सीय अवकाश हेतु संविदा सेवक को जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ग) आकस्मिक अथवा चिकित्सा अवकाश यदि वित्तीय वर्ष में उपयोग नहीं किए जाने की दशा में, आगामी वर्ष में अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) महिला संविदा सेवक, जिसकी दो से कम जीवित संतान हों, अधिकतम 180 दिनों की कालावधि के लिए प्रसूति अवकाश की हकदार होगी। पुरूष संविदा सेवक 15 दिवस के पितृत्व अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगा। पितृत्व अवकाश केवल दो जीवित संतानों तक ही देय होगा।

(ङ) उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां संबंधित जिला आयुष अधिकारी में निहित होंगी।

(6) यदि संविदा सेवक बिना किसी विशिष्ट कारण और सूचना के एक माह से अधिक के लिए अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहता/रहती है, तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वमेव समाप्त हुई समझी जाएगी।

(7) संविदा सेवक किसी भी पेंशन अभिलाभ या बोनस का हकदार नहीं होगा क्योंकि संविदा नियुक्ति विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अन्तर्गत है तथा मिशन के समाप्त होने पर अथवा वेतन मद में अनुदान प्राप्त न होने की दशा में नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी।

(8) संविदा सेवक शासकीय सेवा में नियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।

(9) (क) संविदा नियुक्ति किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना पर अथवा एक माह के संविदा मानदेय के भुगतान पर समाप्त की जा सकेगी।

(ख) दस्तावेज सत्यापन के दौरान समस्त अर्हताएं विधिमान्य पाए जाने पर, पदस्थापना आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। सभी चयनित अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदात्मक आयुष अधिकारी/कर्मचारी के पद पर पदस्थ किया जाएगा।

(10) अन्य सेवा–शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(11) संविदा सेवक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो तथा उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया इस आशय का विधिमान्य मूल निवासी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(12) संविदा सेवक के चरित्र प्रमाण–पत्र का सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।

(13) **मासिक मानदेय में कटौत्रा**–ई.पी.एफ. कटौत्रे के बारे में, जी आई ओ के दिशानिर्देशों के अनुसार, ई.पी.एफ. और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 किए जाएंगे। देय आयकर हेतु संविदा सेवक के मासिक मानदेय से टी.डी.एस. कटौत्रा किया जाएगा।

(14) **यात्रा भत्ता**–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियमों के अनुसार संविदा सेवक को शासकीय कार्य के लिए यात्रा भत्ता की पात्रता होगी। इसके सिवाय अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा।

(15) नियुक्ति आदेश दिनांक से वर्ष की समाप्ति तक अर्थात् दिनांक 31 दिसंम्बर तक के लिए की जाएगी।

(16) **कौशल विकास प्रशिक्षण**–संविदा सेवकों यथा विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी को समय–समय पर आवश्यकतानुसार कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(17) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा संविदात्मक संवर्ग हेतु निर्धारित मूल मासिक मानदेय उस संवर्ग हेतु देय न्यूनतम रकम होगी। पूर्व से कार्य कर रहे संविदा सेवकों को वृद्धि किया गया मानदेय भुगतान किया जाएगा।

14. संविदा कर्मचारी की दुर्घटना मृत्यु पर अनुग्रह भुगतान–

(1) किसी भी संविदात्मक कर्मचारी की सेवा के दौरान दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु होने पर 6 माह के मासिक मानदेय के समतुल्य रकम (अधिकतम रुपए 25000/–) संविदात्मक कर्मचारी के निकटस्थ परिजन को दी जाएगी। पूर्व में जारी अनुग्रह रकम की वसूली नहीं की जाएगी ।

(2) अविवाहित संविदात्मक कर्मचारी के मामले में, यह रकम कर्मचारी के पिता के न होने पर माता को दी जाएगी। पिता/माता के जीवित ना रहने की दशा में, संविदात्मक कर्मचारी पर आश्रित निकटस्थ परिजन को दी जाएगी ।

(3) विवाहित संविदा कर्मचारी के मामले में, पत्नि/पति, ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ अविवाहित पुत्री को यह रकम दी जाएगी। यदि हितग्राही अवयस्क है, तो रकम बैंक या डाक घर में जमा की जाएगी, जहां अभिभावक के माध्यम से अवयस्क बच्चों द्वारा यह रकम खर्च हेतु प्राप्त की जा सकेगी ।

(4) **भुगतान की समयावधि–** संविदात्मक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 15 दिन के भीतर अनुग्रह भुगतान किया जाएगा। मृत्यु की समय–सीमा में सूचना कार्यालय प्रमुख, जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष तथा राज्य स्वास्थ्य समिति को दी जाएगी।

15. **निर्वचन.–** इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो वह आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

16. **शिथिलीकरण.–** इन नियमों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसको ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की कार्यवाही करने की शक्ति को ऐसी रीति में सीमित या कम करती है, जो उन्हें उचित तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हो :

परंतु किसी मामले को ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

17. **निरसन तथा व्यावृत्ति.–** मध्यप्रदेश आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2013 निरसित किए जाते हैः

परंतु इस प्रकार निरसित निमयों के अंतर्गत दिया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची—एक

(नियम 4,5 एवं 6 देखिए)

अनुक्रमांक	संविदा सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	मानदेय (प्रतिमाह) रूपए	भर्ती का तरीका	नियुक्ति प्रधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	क. संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	280	29,500	नियम 6 (1) के अनुसार	राज्य शासन
	ख. संविदा होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी.	280	29,500	—तदैव—	—तदैव—
	ग. संविदा यूनानी चिकित्सा अधिकारी	40	29,500	—तदैव—	—तदैव—
2.	संविदा आयुर्वेद /होम्योपैथी /यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ	46	35,000	—तदैव—	—तदैव—
3.	संविदा फार्मासिस्ट/ कम्पाउण्डर / औषधि संयोजक (आयुर्वेद/होम्योपैथी/ यूनानी चिकित्सा)	200	14,160	—तदैव—	विभागाध्यक्ष
4.	संविदा आयुष मसाजर (बहुउद्देशीय कर्मी)	46	4000	—तदैव—	—तदैव—
5.	संविदा आयुष रोगी अटेंडेंट (महिला/पुरूष)	46	6000	—तदैव—	—तदैव—
6.	प्रोग्राम मैनेजर	01	35,000	—तदैव—	राज्य शासन
7.	फायनेंस मैनेजर	01	35,000	—तदैव—	—तदैव—
8.	अकाउंट्स मैनेजर	01	35,000	—तदैव—	—तदैव—
9.	डाटा असिस्टेंट	01	20,000	—तदैव—	—तदैव—

अनुसूची–दो

(नियम 7 देखिए)

अनुक्रमांक	संविदा सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	क. संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	21	40	किसी विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. की उपाधि जो विधि द्वारा स्थापित तथा सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्याताप्राप्त हो तथा मध्यप्रदेश आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से विधिमान्य पंजीयन हो।
	ख. संविदा होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी	21	40	किसी विश्वविद्यालय से बी.एच.एम.एस. की उपाधि जो विधि द्वारा स्थापित तथा सी.सी.एच द्वारा मान्यताप्राप्त हो या चार वर्षीय डिप्लोमा (डी.एच.एम.एस.) सी.सी.एच से मान्यताप्राप्त तथा मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् से विधिमान्य पंजीयन हो।
	ग. संविदा यूनानी चिकित्सा अधिकारी	21	40	किसी विश्वविद्याय से बी.यू.एम.एस. की उपाधि जो विधि द्वारा स्थापित तथा सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्यताप्राप्त तथा मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से विधिमान्य पंजीयन हो।

2.	संविदा आयुर्वेद/ होम्योपैथी/ यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ	21	40	(1) आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ सी.सी. आई.एम. द्वारा मान्यताप्राप्त आयुर्वेद चिकित्सा के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेद बोर्ड/परिषद् से फिजीशियन के रूप में पंजीयन हो। (2) होम्योपैथी चिकित्सा विशेषज्ञ सी.सी. एच. द्वारा मान्यताप्राप्त होम्योपैथी चिकित्सा के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/परिषद् से फिजीशियन के रूप में पंजीयन हो (3) यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ सी.सी. आई.एम. द्वारा मान्यताप्राप्त यूनानी चिकित्सा के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/परिषद् से फिजीशियन के रूप में पंजीयन हो।
3.	संविदा फार्मासिस्ट/ कम्पाउण्डर/औषधि संयोजक (आयुर्वेद/ होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा)	21	40	चिकित्सा की संबंधित पद्धति में, फार्मेसी में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या एक वर्षीय कम्पाउण्डर प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम एवं मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन हो।

4.	संविदा आयुष मसाजर (बहुउद्देशीय कर्मी)	21	40	किसी मान्यताप्राप्त संस्था से पंचकर्म में डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र एवं मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीयन हो।
5.	संविदा आयुष रोगी अटेंडेंट (महिला/पुरूष)	21	40	पूर्व माध्यमिक परीक्षा (8वीं कक्षा) उत्तीर्ण हो।
6.	कार्यक्रम प्रबंधक	21	40	AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त मानव संसाधन प्रबंधन में एम.बी.ए/ स्नातकोत्तर उपाधि तीन वर्ष का कार्य अनुभव।
7.	वित्त प्रबंधक	21	40	AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त वित्तीय प्रबंधन में एम.बी.ए फायनेंस/ स्नातकोत्तर उपाधि हो।
8.	लेखा प्रबंधक	21	40	AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त वित्तीय प्रबंधन में एम.बी.ए फायनेंस/एम. कॉम/आई.सी. डब्ल्यू. ए. (इन्टर)/ सी.ए. (इन्टर)। शासकीय अथवा प्रतिष्ठित संगठन में तीन वर्ष का लेखा प्रबंधन का अनुभव।
9.	डाटा सहायक	21	40	कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा के साथ स्नातक या एम.एस. आफ़िस पैकेज, टैली, पेज मेकर आदि की जानकारी के साथ बी.सी.ए. हिन्दी तथा अंग्रेजी टाईपिंग के साथ दो वर्ष का कार्य अनुभव।

टीप– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3–8/2016/3–एक दिनांक 12 मई, 2017 के अनुसार मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए सीधी भर्ती के पदों हेतु आयु–सीमा में अधिकतम छूट निम्नानुसार होगीः–

1.

अनुक्रमांक	भर्ती का तरीका	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एम.एच.) राजपत्रित/अराजपत्रित/ कार्यपालिक पदों के लिए	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एम.एच.) तृतीय/चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)	
(1)	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28+12=40	25+15=40
(2)	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28+17=45	25+20=45
(3)	पुरूष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/ **स्वशासी कर्मचारी तथा नगर सैनिक)**	28+17=45	25+20=45
(4)	**पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)**	28+17=45	25+20=45
(5)	**पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग– शासकीय/निगम /मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)**	28+17=45	25+20=45
(6)	निःशक्तजन आवेदकों के लिए	28+17=45	25+20=45
प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु–सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।			

2. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य है।

F-1-116/2009/1-59:- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules, relating to the recruitment to certain categories of services under National Health Mission (NHM) on contract basis under the Ayush Department, Government of Madhya Pradesh, namely:-

RULES

1. Short title, Extent and Commencement.-

(1) These rules may be called the "Madhya Pradesh Ayurved, Homoeopathy and Unani Contract Servant (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2018".

(2) These rules shall extend to whole the State of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.-

In these rules unless the context otherwise requires,-

(a) "**Appointing Authority**" means the authority specified in the Schedule-I for the concerned category;

(b) "**Contractual employee**" means the servant appointed on contract basis under National Health Mission (NHM);

(c) "**Contract service** " means the contract services as provided under these rules.

(d) "**Contract Appointment**" means the appointment made on contract basis under these rules;

(e) "**Districts**" means, the revenue district of Madhya Pradesh;

(f) **"government"** means, the Government of Madhya Pradesh;

(g) **"Head of Department"** means, the Commissioner/ Director, Ayush, Madhya Pradesh, Bhopal;

(h) **"Post"** means, the posts mentioned in column (2) of the schedule-I;

(i) **"Rural area"** means, the area other then Municipal council and Municipal Corporation;

(j) **"Schedule"** means, schedule appended to these rules;

(k) **"State"** means, the State of Madhya Pradesh.

3. Application.-

Notwithstanding anything contained in any other rules for the time being in force, these rules shall apply to such categories of contract employees, as may be specified in Schedule-I by the state Government under National Health Mission (NHM) from time to time.

4. Payment of Contract Honorarium.-

(1) Contractual employees shall be paid the monthly contract honorarium as specified in Schedule-I:

Provided that increment in the honorarium may be made subject to the orders issued by the State Government from time to time:

Provided further that Contractual employees shall not be entitled for any other allowances as are applicable to the employees of the State Government.

(2) The contract honorarium to a contractual employee shall not be paid for the days for which he remains absent from the duty.

5. Number of Posts and Reservation.-

(1) **Number of Posts-** The number of posts under the National Health Mission shall be such as specified in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts:

Provided further that the vacant posts for each category shall be calculated on the 1st day of January of every year at the state level and the vacant posts earmarked for contractual appointments shall be grouped separately.

(2) **Reservation-** The posts shall be reserved in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997 and the orders /instructions issued by General Administration Department,Government of Madhya Pradesh, from time to time.

6. Method of Recruitment.-

(1) Recruitment to the service shall be made by direct recruitment through selection/ competitive Examination.

(2) Selection/ competitive examination shall be held by Professional Examination Board (PEB) or M.P. online or any other agency prescribed by the Government from time to time.

(3) Appointment to the post shall be made by appointing authority on the basis of merit list.

7. Conditions of eligibility.-

(1) **Age**- Candidate must have attained the age as specified in column(3) of schedule-II and not attained the age as specified in column (4)of the said schedule on the first day of January of the year in which the appointment is to be made:

Provided that the upper age limit shall be relaxable as per the provisions made or orders/ instructions issued by the Government, from time to time.

(2) **Minimum Educational Qualification**- A candidate must possess the educational qualifications as specified in Schedule II.

(3) Candidate shall also undergo police verification and in case of adverse report the appointment shall stand cancelled.

8. Disqualifications.-

(1) Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by appointing authority to disqualify him for admission to the examination / selection.

(2) No such candidate shall be eligible for appointment to the service, who has married before the minimum age fixed (21 years for male and 18 years for female) for marriage.

(3) No candidate who has married to a person who has a living wife/husband, shall be eligible.

(4) No Candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has more than two living children one of them is born on or after the 26th day of January 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after the 26th day of January, 2001 in which two or more than two children are born.

(5) No Candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has been convicted of an offence against women:

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the Criminal Case

(6) Fake documents /Manipulation in documents, or hiding any important information at selection level shall be a disqualification.

9. Period of Contract Appointment.-

The contract appointment shall be made for a period of 1 year:

Provided that the period of contract appointment may be renewed yearly by the state Government on the basis of appraisal report of selection committee till availability of funds from National Health Mission (NHM) or up to period of the Mission:

Provided further that the duty, conduct and work performance of the Contractual employee must be satisfactory.

10. Discipline and Control during Contract Period.- Any person appointed under these rules shall be governed by the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965.

11. Action on Misconduct or Involvement in any criminal Activity.- On any misconduct or involvement in any criminal activity by the person appointed under these rules, the appointing authority may terminate the contract appointment after giving a reasonable opportunity of being heard.

12. Controlling officer.- The contract servant shall be under administrative control of the District Ayush Officer of the concerned District.

13 Other Conditions.-

(1) The selected candidate shall execute an agreement with the District Ayush Officer who is representative officer of the Appointing Authority, on non-judicial stamp of Rs. 500. Expenses on execution of the agreement shall be borne by the selected candidate. The selected candidate shall be deemed to be in contract service from the date of joining at the place of his/her posting.

(2) It shall be compulsory for the contract servant to join his/her duty at the place of posting within 15 days from the date of issuance of the appointment order. The contract servant shall send the intimation of joining to the District Ayush Officer of the concerned District. If the selected employee fails to join the duty within said period, the contract appointment shall automatically stand cancelled.

(3) The contract servant shall undergo medical examination conducted by the Medical board at his own cost before the receipt of payment of contract amount for the first month. Only after being found fit in the medical examination, the contract appointment shall be valid.

(4) (a) The posting of a contract servant shall be for a specific place for a specified period on contract basis as per sub-rule (1). However, for the convenience of female candidates, husband - wife priority shall be given in posting.

(b) Mutual transfer of two contract servants of same post in rural area may be made on their joint application.

(c) The contract employee may be transferred only under the exceptional circumstances only on a vacant post:

Provided that if any contract employee is transferred under exceptional circumstances after completion of 3 years, the seniority shall not be affected:

Provided further that on transfer made before completion of 3 years service period, it shall be deemed new appointment and seniority shall be counted from the date of execution of new agreement.

(5) (a) The contract servant shall be entitled for a maximum of 15 days' casual leave in one financial year. He/she may avail a maximum of 3 days' leave at a time.

(b) Contract servant shall be entitled for 15 days medical leave in one financial year. However more than 03 days medical leave shall require medical certificate issued by gazetted medical officer in prescribed format. For more than 7 days medical leave, the Contract servant shall be required to submit a medical certificate issued by medical board.

(c) In case if the Casual Leave or medical leave is not used in financial year, the same shall not be carried forward to next financial year.

(d) A female Contract servant having less than two living children shall be entitled for maternity leave for a maximum period of 180 days. Male Contract servant shall be entitled for 15 days paternity leave. This leave shall be in addition to causal leave. Paternity leave shall be granted for only two live children.

(e) The powers to sanction the aforesaid leaves shall be vested with the concerned District Ayush Officer.

(6) If the Contract servant remains absent from his/her duty for more than a month without any specific reason and intimation, his/her contract appointment shall be deemed to be terminated automatically from the date of such absence.

(7) The Contract employee shall not be entitled for any pensionary benefits or bonus because the contract appointment is purely under the National Health Mission (NHM) and appointment shall automatically stand terminated at the end of Mission or in case of non-receipt of Grant-in-aid under the salary Head.

(8) The Contract employee shall not be entitled for regularization in Government Service

(9) (a) The contract appointment may be terminated by any party at any time on one month's prior notice or on payment of one month's contract honorarium.

(b) During document verification, if all the qualifications are valid found then the posting order shall be issued by authorized officer. All selected candidates shall be posted on the post of contractual Ayush officer/ employee in NHM.

(10) Other service conditions shall be such, as may be specified in the appointment order.

(11) It shall be compulsory for the contract employees to be domicile of Madhya Pradesh and he/she shall have to submit the valid domicile certificate to this intent issued by competent authority.

(12) Character certificate of Contract employee shall be verified according to the rules or instructions applicable to the government servant. In case of any adverse findings, the Contract appointment shall be terminated by appointing authority without giving any reason.

(13) **Reduction in monthly honorarium-** In respect of EPF deduction, as guidelines of G.I.O. EPF and Miscellaneous Provision Act, 1952 shall be applied. For payable income tax, TDS shall be deducted from the monthly honorarium of Contract servant.

(14) **Travelling allowance-** According to NHM Rules, contract servant shall be entitled for travelling allowance for official work, except this no other allowances shall be given.

(15) Appointment shall be made up to the end of year from date of order viz. 31st December.

(16) **Skill development Training-** Contract servant as specialist/ Medical officer shall be given skill development training time to time as per the need.

(17) Basic monthly honorarium determined by State health committee for contractual cadre shall be the minimum amount payable for that cadre. Contract servants, who have already been working, shall be paid increased honorarium.

14. Ex-gratia payment on accidental death of contractual employee-

(1) In case of accident or casual death during service of any contractual employee, the amount equivalent to the monthly honorarium of 6 months (maximum Rs. 25000/-) shall be given to the immediate family member of contractual employees. The ex-gratia amount released in the past shall not be recovered.

(2) In case of unmarried contractual employee, this amount shall be given to the mother if employee's father is not alive. In case parents are not alive, it shall be given to the dependent immediate family member of contractual employee.

(3) In case of married employee, this amount shall be given to the wife / husband, eldest son or eldest unmarried daughter. In case if the beneficiary is minor, the amount shall be deposited in the bank or post office, where the amount can be received by the under privileged children for expense through the parent.

(4) Period of payment – ex-gratia payment shall be made within 15 days from the date of death of contractual employee. Within time, Information of death, shall be given to the head of the Office, Chairman, District Health Committee and the State Health Committee.

15. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of any provisions of these rules, it shall be referred to the AYUSH Department, Government of Madhya Pradesh, Bhopal whose decision thereon shall be final.

16. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such a manner as may appear to him to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with any manner less favorable to him/her than that provided in these rules.

17. Repeal and saving.- The Madhya Pradesh Ayurved, Homoeopathy, Unani Medical Officer Cadre Contract Service (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2013 shall be repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

SCHEDULE-I
(See rule 4,5 and 6)

S. NO.	Name of Posts included in Contract Service	Number of posts	Honorarium (per Month) RS	Method of recruitment	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A. Contract Ayurveda Medical Officer	280	29,500	As per rule-6 (1)	State Government
	B. Contract Homoeopathy Medical Officer	280	29,500	- do-	- do -
	C.Contract UnaniMedical Officer	40	29,500	- do-	- do -
2.	Contract Ayurveda / Homoeopathy / Unani Medicine Specialist	46	35,000	- do-	- do -
3.	Contract Pharmacist/ Compounder/Aushadhi Samayojak (Ayurveda/Homoeopath y/Unani Medicine)	200	14,160	- do-	Head of the Department
4.	Contract Ayush Massager (Multipurpose Worker)	46	4000	- do-	- do
5.	Contract Ayush Patient Attendant (Male/Female)	46	6000	- do-	- do-
6.	Programme Manager	01	35,000	- do-	State Government
7.	Finance Manager	01	35,000	- do-	- do
8.	Accounts Manager	01	35,000	- do-	- do
9.	Data Assistant	01	20,000	- do-	- do

SHEDULE-II
(See rule 7)

S. No.	Name of Posts included in Contract Service	minimum age	Maximum age	Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	A. Contract Ayurveda Medical Officer	21	40	B.A.M.S. Degree from any University which is established by law and recognized by CCIM and valid Registration with Madhya Pradesh Ayurveda, Unani Evam Prakratik Chikitsa Board.
	B. Contract Homoeopathy Medical Officer	21	40	B.H.M.S. Degree from any University which is established by law and recognized by CCH or four - year Diploma (DHMS) recognized by CCH and valid registration with Madhya Pradesh State Council of Homoeopathy
	C. Contract UnaniMedical Officer	21	40	B.U.M.S. Degree from any University which is established by law and recognized by CCIM and valid Registration with M.P. Ayurveda, Unani Evam Prakratik Chikitsa Board.
2.	Contract Ayurveda / Homoeopathy / Unani Medicine Specialist	21	40	(1) Ayurveda Medicine Specialist - A Post-Graduate Degree in any subject of Ayurved Medicine recognized by CCIM and Registration as a Physician with Ayurveda Board / Council established by law. (2) Homoeopathy Medicine Specialist - A Post-Graduate Degree in any subject of

					Homoeopathy Medicine recognized by CCH and Registration as a physician with a Board/ Council established by law. (3) Unani Medicine specialist- A Post-Graduate Degree in any subject of Unani medicine recognized by CCIM and Registration as a physician with a Board / Council established by law.
3.	Contract Pharmacist/ Compounder/ Aushadhi Samayojak (Ayurveda/ Homoepathy / Unani medicine)		21	40	A recognized Diploma in Pharmacy in the concerned system of medicine or one year Compounder training Certificate Course and Registration with M.P. Paramedical Council.
4.	Contract Ayush Massager (Multipurpose Worker)		21	40	Diploma/ Certificate in Panchakarma from any recognized institute and Registration with M.P. Paramedical Council.
5.	Contract Ayush Patient Attendant (Male/Female)		21	40	Middle School Examination (8th Class) passed
6.	Programme Manager		21	40	MBA/Master Degree in Human Resource Management recognized by AICTE Work Experience of Three Years
7.	Finance Manager		21	40	MBA Finance / Master Degree in Finance Management recognized by AICTE

8.	Accounts Manager	21	40	MBA Finance / M.Com / ICWA (Inter) / CA (Inter) recognized by AICTE Account management Experience of three Years in a Government or reputed organization.
9.	Data Assistant	21	40	Graduation with Diploma in Computer application or BCA with knowledge of MS office package, Tally/ Page maker etc., Hindi and English typing with 2 Years working experience.

Note : According to General Administration Department circular no. 3-8/ 2016/3- one dated May 12, 2017 direct recruitment posts for native residents of Madhya Pradesh, Maximum exemption in age limit will be as follows:

1.

S.N.	Method of recruitment	National Health Mission (NMH) for Gazetted / Non-gazetted / Executive posts	National Health Mission (N.H.M.) for Third / Fourth grade posts
		Minimum / maximum age range (in year)	
(1)	Male Applicant (Unreserved Class)	28+12=40	25+15=40
(2)	Female Applicant (Unreserved Class)	28+17=45	25+20=45
(3)	Male / Female applicants (Government / Corporations / Board / Self-governmental staff and city soldiers)	28+17=45	25+20=45

(4)	Male / Female applicant (reserved category - SC / ST / OBC)	28+17=45	25+20=45
(5)	Male / Female applicants (Reserved category - Official / Corporations / Employees of the board / autonomous body and city soldiers)	28+17=45	25+20=45
(6)	For specially disabled Applicants	28+17=45	25+20=45
Candidates outside the state will not get maximum age relaxation in any situation.			

2. For all the posts in the third and fourth grade candidates live registration in the employment office of the state of Madhya Pradesh is mandatory.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.